



कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-24/2017- 726 दिनांक : 12.06.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो / धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद / गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा /

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा /

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण एवं गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) एवं गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 206.197 लाख (दो करोड छः लाख उन्नीस सात सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागिय स्वीकृत्यादेश सं0 पत्रांक 4/यो0बजट-09/2018-45/स्वी0 व0प0 दिनांक-26.02.2018 एवं आवंटन आदेश सं0 4/ यो0बजट-09 / 2018 -45 / - 33 /आ0 दिनांक 26.04.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 206.197 लाख (दो करोड छः लाख उन्नीस सात सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789590103	163.600
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789590323	42.597
कुल :-		206.197

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं 1(ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601789590103 तथा 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यो का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
18. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल को 1500 बाँस गैबियन सांसद आदर्श ग्राम में पौधारोपण हेतु उप आवंटित की जा रही है। जिन स्थलों का अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं है, संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही राशि का व्यय करेंगे तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी दी जाएगी।
19. गैबियन वनरोपण एक avenue plantation है, जिसमें 6-7 फीट के करंज, कटहल, बरगद, छतवन, महोगनी एवं Semrua के evergreen प्रजाति के पौधे ही लगाये जायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-24/2017- 726 दिनांक- 12.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / मेदिनीनगर/बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/बोकारो/गिरिडीह/गढ़वा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-24/2017- 726 दिनांक- 12.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चतरा/बोकारो/ धनबाद/गिरिडीह/गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (बाँस गैबियन संख्या में)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			332.33	96.50	428.83
i	ii	iii	vi	v	vi
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	5000	16.617	4.825	21.442
2	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	8200	27.251	7.913	35.164
3	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	13440	44.665	12.970	57.635
4	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	11500	38.218	11.098	49.316
5	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	1500	4.984	1.448	6.432
6	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	2000	6.647	1.930	8.577
योग :-		41640	138.382	40.184	178.566

अनुलग्नक-1(ख)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक उपलब्धि (हे०)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			26268.47	2515.00	28783.47
i	ii	iii	vi	v	vi
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	96.00	25.218	2.413	27.631
योग :-		96.00	25.218	2.413	27.631
सकल योग :-			163.600	42.597	206.197

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजना का नाम- पथटट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस-गैबियन का आकार:6'-6"x2'-6"x2'-6"
2. स्पेसिंग - पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी0
- 3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 237.38 रू0
- पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी0

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	छ: फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	35.61	20.00	55.61	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	23.74	2.00	25.74	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	35.61	4.50	40.11	
5	पटवन (रिक्शा/ढेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	118.69	25.00	143.69	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	118.69	0.00	118.69	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	332.33	96.50	428.83	

नोट :- स्वीकृतादेश संख्या 04/यो0ब0-36/2017 (खण्ड-II) 46 दिनांक 27.02.2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे०

योजना का नाम- अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

- पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666
- पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)
- मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू० 237.38

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	
(B)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	21.50	5103.67	0.00	5103.67	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	8664.37	0.00	8664.37	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	41.50	9851.27	0.00	9851.27	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2.00	474.76	0.00	474.76	
5	पौधों की सुरक्षा	हे०	9.16	2174.40	0.00	2174.40	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :-		110.66	26268.47	2515.00	28783.47	

प्रधानी मुख्य वन/संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-24/2017/726

दिनांक - 12-Jun-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34405	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	1,661,700.00 रुपये सोलह लाख इकसठ हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34406	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,725,100.00 रुपये सत्ताइस लाख पच्चीस हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34407	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	4,466,500.00 रुपये चवालीस लाख छठ हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

8,853,300.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये अठ्यासी लाख तीरपन हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DIBRAHANG (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34408	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	6,343,600.00 रुपये तीरसठ लाख तीरयालीस हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34409	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV. GARHWA	498,400.00 रुपये चार लाख अठानवे हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34410	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	664,700.00 रुपये छः लाख चौसठ हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड तीरसठ लाख साहठ हजार

क्रमिक योग:

7,506,700.00

16,360,000.00


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DISTRICT (BANDHAN) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34411	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	482,500.00 रुपये चार लाख बयासी हजार पॉच सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				
8	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34412	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	791,300.00 रुपये सात लाख इनकानवे हजार तीन सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				
9	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34413	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,297,000.00 रुपये बारह लाख सिल्लानवे हजार
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				

योग: 2,570,800.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड नवासी लाख तीस हजार आठ सौ 18,930,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DADHARHAT, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34414	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,351,100.00 रुपये तेरह लाख इकावन हजार एक सौ
<div>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA</div>				
11	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34415	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	144,800.00 रुपये एक लाख चवालीस हजार आठ सौ
<div>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA</div>				
12	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34416	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	193,000.00 रुपये एक लाख तिरनाने हजार
<div>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA</div>				

योग: 1,688,900.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड छः लाख उन्नीस हजार सात सौ 20,619,700.00

(SHRI SATNAM SINGH)